

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

तारकित प्रश्न संख्या: *314
उत्तर देने की तारीख: 17.12.2024

बीपीएल परिवारों के लिए छात्रवृत्ति

*314. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दादरा और नागर हवेली तथा मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों के व्यक्तियों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दादरा और नागर हवेली तथा मध्य प्रदेश में उक्त योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति के लाभार्थी योजनावार और जिलावार कितने हैं; और
- (ग) दादरा और नागर हवेली तथा मध्य प्रदेश सहित देश में उक्त योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“बीपीएल परिवारों के लिए छात्रवृत्ति” के संबंध में श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर और श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा दिनांक 17.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारकित प्रश्न संख्या 314 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का अधिदेश अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, मद्यपान तथा नशीले पदार्थों के सेवन के पीड़ितों, सफाई कर्मियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिखारियों, विमुक्त तथा घुमंतू जनजातियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से लाभार्थित लोगों के सबसे गरीब परिवारों के कल्याण का ध्यान रखना है।

इस विभाग द्वारा विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों तथा अन्य के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति, यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस-एससी), अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त जनजातियों के छात्रों के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी), यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस-बीसी) कार्यान्वित कर रहा है, जिनके अंतर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ख): अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को छोड़कर उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मध्य प्रदेश और दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव में लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लाभार्थियों की संख्या का योजना-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): मध्य प्रदेश और दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सहित देश में उपर्युक्त योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव और मध्य प्रदेश सहित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियमित रूप से हैंडहोल्डिंग बैठकें/कार्यशालाएं;

- (ii) अधिकतम कवरेज के लिए दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव और मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख समाचारों पत्रों के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में हिन्दी और अंग्रेजी में विज्ञापनों का प्रकाशन;
- (iii) अधिक पारदर्शिता, दोहराव तथा संस्थानों द्वारा गलत दावों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए शुरू से अंत तक ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन लेन-देन के माध्यम से पात्रता दस्तावेजों का सत्यापन; तथा
- (iv) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से छात्रों के आधार-आधारित बैंक खातों में केन्द्रीय हिस्सेदारी सीधा जारी की जा रही है।
- (v) स्कीमों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार कई कदम उठाती है जैसे विभाग द्वारा अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण, उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अनिवार्य प्रस्तुति तथा राष्ट्रीय, राज्य स्तरों पर बैठकों के आयोजन के माध्यम से आवधिक समीक्षा तथा फील्ड दौर। इस विभाग से निधियां प्राप्त करने वाले सभी संस्थानों के कार्यकरण की नियमित निगरानी के लिए विभाग में परियोजना निगरानी इकाई की भी स्थापना की गई है। यह विभाग तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से स्कीमों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा भी करता है। अध्ययनों से पता चला है कि ये स्कीमों वांछित उद्देश्य प्राप्त कर रही हैं तथा इन अध्ययनों ने स्कीमों को जारी रखने की सिफारिश की है।

अनुबंध

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारकित प्रश्न संख्या 314 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

i. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

राज्य का नाम	जिले का नाम	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लाभार्थियों की संख्या
मध्य प्रदेश	आगरमालवा	3857	2741	2642
	अलीराजपुर	665	585	512
	अनुपपुर	3136	2876	2671
	अशोकनगर	6817	5653	4977
	बालाघाट	8039	6684	5718
	बड़वानी	2331	2066	1714
	बेतुल	10243	8386	7185
	भिंड	14137	11169	9247
	भोपाल	18755	10661	8488
	बुरहानपुर	2109	1800	1569
	छतरपुर	20050	17138	16238
	छिंदवाड़ा	15238	12714	10290
	दमोह	11221	8834	7062
	दतिया	8444	7105	6404
	देवास	14019	10722	9012
	धार	6115	5312	4424
	डिंडोरी	2307	2404	2203
	गुना	7992	5918	4702
	ग्वालियर	18704	15877	13710
	हरदा	5461	4717	4103
	होशंगाबाद	11079	9302	7584
	इंदौर	24554	17624	15119
	जबलपुर	11479	9263	8179
	झाबुआ	679	705	590
	कटनी	5328	4153	3847
	खडवा (पूर्वी निमाड़)	6063	5660	4984
	खरगोन	8618	7317	6381
	मंडला	2715	2475	2174

	मन्दसौर	8349	6843	6368
	मुरैना	14316	12085	9684
	नरसिंहपुर	9021	8441	7671
	नीमच	4506	3368	3159
	निवाड़ी	2253	120	62
	पन्ना	9530	8330	7571
	रायसेन	9285	8084	6797
	राजगढ़	11226	8961	7560
	रतलाम	6143	4543	4141
	रीवा	15231	13366	11365
	सागर	23012	17927	14319
	सतना	22030	18391	15535
	सीहोर	15860	12877	11530
	सिवनी	7928	6922	6070
	शाहडोल	4160	3508	3135
	शाजापुर	11108	7936	6822
	श्योपुर	3447	3171	2664
	शिवपुरी	11488	9574	7801
	सीद्धी	4900	4427	4052
	सिंगरौली	4051	3261	2876
	टीकमगढ़	15559	13516	10849
	उज्जैन	16936	12785	11376
	उमरिया	2727	2302	1899
	विदिशा	13357	10788	9467
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	दादरा और नागर हवेली	49	संघ राज्य क्षेत्रों ने कोई डाटा साझा नहीं किया है	
	दमन	32		
	दीव	17		
	कुल	496676	401387	344502

ii. अनुसूचित जातियों एवं अन्यो के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

राज्य का नाम	जिले का नाम	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लाभार्थियों की संख्या
मध्य प्रदेश	आगरमालवा	इस विभाग में उपलब्ध नहीं है	1216	1171
	अलीराजपुर		226	170
	अनुपपुर		1218	1108
	अशोकनगर		1968	1864
	बालाघाट		1874	1565
	बड़वानी		958	888
	बेतुल		2636	2429
	भिंड		3750	3094
	भोपाल		1753	1536
	बुरहानपुर		1045	1025
	छतरपुर		6867	6489
	छिंदवाड़ा	3835	3425	
	दमोह	4014	3399	
	दतिया	2348	1990	
	देवास	3531	2945	
	धार	2231	1927	
	डिंडोरी	1121	1085	
	गुना	1891	1768	
	ग्वालियर	4606	4042	
	हरदा	1414	1138	
	होशंगाबाद	2885	2693	
	इंदौर	4187	3887	
	जबलपुर	3467	3093	
	झाबुआ	256	247	
	कटनी	2004	1843	
	खंडवा (पूर्वी निमाड़)	2404	2122	
	खरगोन	2970	2742	
	मंडला	961	958	
	मन्दसौर	3680	3201	
	मुरैना	4852	4174	
	नरसिंहपुर	3590	3194	
	नीमच	1561	1352	
	निवाड़ी	12	7	
	पन्ना	3479	3342	

	रायसेन		2204	1872
	राजगढ़		2542	1736
	रतलाम		2118	2007
	रीवा		4452	4241
	सागर		7484	5693
	सतना		4568	3804
	सीहोर		4632	3937
	सिवनी		2379	2091
	शाहडोल		1548	1387
	शाजापुर		2839	2274
	श्योपुर		1114	887
	शिवपुरी		3347	3001
	सीधी		2155	2066
	सिंगरौली		1287	1062
	टीकमगढ़		4063	3559
	उज्जैन		4770	3946
	उमरिया		986	821
	विदिशा		3436	2659
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	दादरा और नागर हवेली		7	8
	दमन		10	2
	दीव		2	4
	कुल		140753	122970

iii. ओबीसी और अन्यों के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी)

स्कीम	मध्य प्रदेश			दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव		
	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	0	0	0	1375	341	0
ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	0.77 लाख	0.76 लाख	0	479	341	597
ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा	योजना वर्ष 2022-23 से लागू की जा रही है	191	622	योजना वर्ष 2022-23 से लागू की जा रही है	0	0
ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा	योजना वर्ष 2023-24 से लागू की जा रही है		232	योजना वर्ष 2023-24 से लागू की जा रही है		1

iv. ओबीसी और अन्य के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)

स्कीम	मध्य प्रदेश			दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव		
	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
ओबीसी उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	53	48	61	0	0	1
ओबीसी/ईबीसी के छात्रों हेतु ओवरसीज अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र की योजना	115	81	51	2	1	1

* केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, राज्यवार एवं जिलावार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं।

v. यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस-एससी)

अनुसूचित जातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा (टीसीएस):

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2021-22	4544
2022-23	4171
2023-24	3969

* केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, राज्यवार एवं जिलावार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं।

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस)

वित्तीय वर्ष	एनओएस का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या
2021-22	98
2022-23	98
2023-24	113

* केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, राज्यवार एवं जिलावार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप:

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2021-22	3706
2022-23	3608
2023-24	4166

* केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, राज्यवार एवं जिलावार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं।

एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना:

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2021-22	1761
2022-23	558
2023-24	223

* केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, राज्यवार एवं जिलावार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं।
